न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः— 12/175/2022 रजू दिनांकः 28.11.2022 रजि0 न0 2022/518

अपीलार्थीः—
श्री रोहित शर्मा, निवासी मीणा पाड़ी, वार्ड नं0 10, अलवर, जिला अलवर (राज0)

प्रत्यर्थीः—
लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलक्टर (द्वितीय), जिला अलवर (राज0)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 10.01.2023

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा—6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 19.10.2022 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 05.12.2022 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया तथा लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2022/ 3059 दिनांक 21.12.2022 के माध्यम से अपीलार्थी को सूचित करते हुए जवाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है, कि वांछित सूचना के बिन्दु सं0 01 लगायत 04 में वांछित सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) एंव धारा 7(9) के आलोक में विशिष्टीकृत, विस्तृत एवं श्रम साध्य सूचना है जिसे पूर्ण विशिष्टीकृत एवं संक्षिप्त किए जाने के उपरान्त ही उपलब्ध कराया जाना संभव है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. अतः लोक सूचना अधिकारी के दिये गये जवाब एंव उपरोक्त विवेचन के आधार पर इस लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर से किसी प्रकार की अन्य कार्यवाही/सूचना उपलब्ध कराई जाना अपेक्षित नही है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. उक्त आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 10.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसले शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर अलवर (राज0)